वित्तीय वर्ष 2018-19

संख्या-74/2018/05/एक-5-2018-04/2006

प्रेषक,

किंजल सिंह,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आयुक्त एवं सचिव,
राजस्व परिषद, उ0प्र0
लखनऊ।

राजस्व अनुभाग-5 **लखनऊ:: दिनांक 25 मई , 2018**

विषयः- जनपद मैनपुरी की तहसील करहल के अनावासीय भवनों के निर्माण कार्य हेतु पुनरीक्षित लागत की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-जी-384/12-भवन-42/2005(अना0) दिनांक 20 फरवरी, 2018 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद मैनपुरी की तहसील करहल के अनावासीय भवनों के निर्माण कार्य हेतु शासनादेश सं0-1318/एक-5-2006-04/2006 दिनांक 19 जुलाई, 2006 द्वारा रू0 240.04 लाख की लागत पर प्रशासकीय एवं वित्तीय अनुमादन प्रदान करते हुए प्रथम किश्त के रूप में धनराशि रू0 50.00 लाख स्वीकृत की गयी थी। उक्त के अनुक्रम में प्रश्नगत योजना हेतु शासनादेश सं0-1119/एक-5-2015-04/2006, दिनांक 15 सितम्बर, 2015 द्वारा द्वितीय/अन्तिम किश्त के रूप में धनराशि रू0 190.04 लाख स्वीकृत की गयी। इस प्रकार अनुमोदित लागत के सापेक्ष सम्पूर्ण धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है। जनपद मैनपुरी की तहसील करहल के अनावासीय भवनों के निर्माण कार्य को पूर्ण किये जाने हेतु व्यय वित्त समिति द्वारा अनुमोदित रू0 560.67 लाख की पुनरीक्षित लागत पर प्रशासकीय एवं वित्तीय अनुमोदन प्रदान करते हुए अवशेष अन्तर की धनराशि रू0 320.63 लाख (रूपये तीन करोड बीस लाख तिरसठ हजार मात्र) अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो के अधीन प्रदान करते हैं:-

(1) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यो की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी)को रोकने की दृष्टि से यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

(2) कार्य की विशिष्टयां, मानक व गुणवत्ता प्रत्येक दशा में सुनिश्चित करायी जाय।

(3) स्वीकृत धनराशि को आहरित कर बैंक/डाकघर/पी0एल0ए0/डिपाजिट खाते में नहीं रखी जायेगी।

(4) प्रायोजना में जी0एस0टी0 की वास्तविक धनराशि नियमानुसार देय होगी।

(5) परियोजना की लागत में टाइम ओवर रन/कास्ट रन न हो। अत इस संबंध में शासन द्वारा निर्गत दिशा-निर्देश एवं बजट मैनुअल के प्रस्तर-212(vii) मे दिये गये निर्देशों का

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। प्रश्नगत योजना हेतु पुनरीक्षित लागत स्वीकृत नही की जायेगी।

(6) लेबर सेस के भुगतान की कार्यवाही नियमानुसार सुनिश्चित की जायेगी।

(7) प्रायोजना के संबंध में नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियॉ एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(8) प्रायोजना प्रस्ताव में प्रस्तावित बाट आउट/प्रोपराइटरी श्रेणी के आइटम्स का क्रय तथा इन पर धनराशि का व्यय सुंसगत वित्तीय नियमों के अनुसार किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(9) पुनरीक्षित प्रायोजना प्रस्ताव/आगणन में कराये गये कार्यो की लागत को प्रायोजना की आकलित लागत में यथावत सम्मलित करते हुए लागत को आकलित किया गया है, जिसका समस्त उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था को होगा ।

(10) आगणन का परीक्षण आगणन/लागत में प्रस्तावित विशिष्टियों एवं कार्य प्रावधानों केा यथावत मानते हुए किया गया है, जिनमें कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे-नये कार्य बढाना, कार्यो की मात्राओं में वृद्धि तथा उच्च विशिष्टियॉ इस्तेमाल करना इत्यादि, व्यय वित्त समिति का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।

(11) अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय वित्तीय वर्ष 2018-19 में किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(12) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यो की मात्राओं को यथावत मानते हुए मात्र दरों का परीक्षण किया गया है। मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था का होगा।

(13) वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप सं0-1/2018/बी-1-375/दस-2018-231/2018 दिनांक 30 मार्च, 2018 मे उल्लिखित शर्तो का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(14) प्रायोजना के संबंध में व्यय वित्त समिति द्वारा लगायी गयी शर्तो का अनुपालन किया जायेगा। प्रायोजना का निर्माण कार्य निर्धारित समयावधि में अवश्य पूर्ण करा लिया जायेगा। भविष्य में अब कोई पुनरीक्षण स्वीकार नहीं होगा। शेष शर्ते मूल शासनादेश के अनुसार यथावत रहेगी।

2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2018-2019 में अनुदान संख्या-50 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय-01-कार्यालय भवन-800-अन्य व्यय-21प्रदेश के मण्डल/जनपद/तहसीलों के अनावासीय भवनों के चालू कार्यों एवं भूमि क्रय हेतु-24-वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-5-826/दस-2018, दिनांक 21 मई, 2018 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं

भवदीया,

(किंजल सिंह)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

<u>संख्या-74/2018/05/एक-5-2018-04/2006, तद्दिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः

1- महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद।

2- कोषाधिकारी, लखनऊ।

3- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5

4- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2

5- जिलाधिकारी, मैनपुरी ।

6- प्रबन्ध निदेशक उ0प्र0 राज्य निर्माण सहकारी सघं लिमिटेड /संबंधित परियोजना प्रबंधक।

7- राजस्व अनुभाग-6

8- गार्ड पत्रावली।

आज्ञा से,

(गिरीश चन्द्र)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।